Saarth
E-Journal of Research

**ISSN NO: 2395-339X**

# शहरी आवास एवं स्वच्छता

**डॉ0 मंजूषा श्रीवास्तव**
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
श्री अग्रसेन महाविद्यालय, मऊरानीपुर (झाँसी)

रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता हैं। तीनों ही व्यक्ति के स्वास्थ्य, मन और कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में आज यह भी सम्मिलित है कि उसके नागरिकों का स्वास्थ्यकर दशाओं वाले आवास उपलब्ध हों। यही कारण है कि सरकारें इसे अपना दायित्व समझने लगीं।

संयुक्त राष्ट्र ने 1980 में सन् 2000 तक के लिए विश्व आवास आवास नीति बनाई गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में 1992 में राष्ट्रीय आवास नीति भारत की संसद में प्रस्तुत की गई। अगस्त 1994 में इसका अनुमोदन कर दिया गया। यह नीति विश्व की सन् 2000 की आवास नीति के अनुरूप सरकार द्वारा आवास के लिए सुविधा प्रदान करने के सिद्धान्त पर आधारित है। इसका अर्थ है कि सरकार या उसकी सार्वजनिक इकाइयाँ आवास निर्माण या आवास प्रदान करने का कार्य नहीं करेंगी। वे मुख्य रूप से आवास की सुविधाएं जुटाएंगी। राष्ट्रीय आवास नीति के अन्तर्गत राज्य की सुविधा जुटाने की भूमिका में सभी लोगों को सस्ते या कर्म खर्च वाले आवास प्राप्त करने में सहायता करना, आवास के लिए धन जुटाने में मदद करना, उचित लागत वाली तकनीकों और भवन निर्माण सामग्री का विकास करना एवं प्रचार करना, कानूनी बाधाओं को दूर करके आवास निर्माण की गतिविधियाँ तेज करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, निवास हेतु बेहतर वातावरण बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना आदि सम्मिलित है।

राष्ट्रीय आवास नीति का कार्यान्वयन कोई एक बारगी कार्य नहीं है। यह तो एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार को केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न नीति निदेशकों के सतत् आधार पर कार्यान्वयन हेतु महती आवश्यकता है। ये योजनाएं और कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं और और परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए।

भारत में केन्द्र सरकार के स्तर पर आवास नीति को लागू करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। केन्द्रीय स्तर पर किए गए सभी उपायों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं– केन्द्र सरकार, जरूरतमंद राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपनी योजनाएं तैयार कर ली हैं। और कुछ कर रहे हैं। कानूनी स्तर पर आदर्श किराया नियंत्रण कानून बनाया गया है। संविधान में आवश्यक संशोधन किए गए हैं, जिससे

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर किराया न्यायाधिकरण बना सकें। आदर्श फ्लैट स्वामित्व विधायक भी राज्यों को सौंप दिए गए हैं। शहरी भूमि सीमा अधिनियम, सहकारी कानून, भारतीय पंजीकरण अधिनियम और स्टाम्प अधिनियम में भी परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है।

आवास क्षेत्र में धन जुटाने के लिए 21 आवास वित्तसंस्थाएं राष्ट्रीय आवास बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण में कार्य कर रहे हैं। इन संस्थाओं ने आवास निर्माण के लिए प्र्याप्त धन दिया है। राष्ट्रीय आवास बोर्ड उन्हें ब्याज की सस्ती दरों पर पुर्नवित्त सुविधा प्रदान करता है। हुडको सहित कुछ आवास वित संस्थाएं अपना आधार बढ़ाने के लिए सार्वजनिक योजनाएं चलाती हैं। गिरवी प्रतिबन्ध व्यवस्था को सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय आवास अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इससे परिवर्ती गिरवी कारोबार के सुचारू रूप से संचालन का रास्ता खुल जाएगा। जिसके परिणामस्वरूप आवास के लिए धन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने लगेगा। अधिसूचित बैंक लोगों को आवास निर्माण के लिए हर साल लगभग एक अरब उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त ये बैंक विभिन्न आवास वित ऐजेन्सियों के लिए दो से तीन अरब रू0 का पूंजी निवेश करते हैं।

सरकार कचरे आदि पर आधारित नए किस्म की भवन सामग्री के उत्पादन और प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक वित्तीय प्रोत्साहन भी देती है। भवन निर्माण सामग्री के बडे पैमाने पर निर्माण के काम आने वाली मशीनों के आयात पर सीमा शुल्क में रियायतें दी गई हैं। प्रोद्योगिकी के मोर्चे पर भवन निर्माण सामग्री और प्रोद्योगिकी प्रोत्साहन परिषद गठित की गई है। जो अब विकसित और अन्य कम खर्च वाली तकनीकों को लोकप्रिय बनाएगी। और उनके कारोबार का समर्थन करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर भवन निर्माण केन्द्रों का जाल विछाया जा रहा है। जिनमें कारीगरों आदि को प्रयोगशाला में तैयार की गई तकनीकों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देंगे। देश के विभिन्न भागों में ऐसे लगभग 210 केन्द्र इस समय कार्यरत हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने निर्देशों में कुछ किफायती तकनीकों और सामग्री को शामिल किया है। हुड़को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में विभिन्न ऐजेन्सियों को ऋण के रूप में सहायता प्रदान कर रहा है। हुड़को के माध्यम से सफाई की किफायती योजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, आवास निर्माण सम्बन्धी सूचना एकत्र करने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए एक प्रबन्ध सूचना व्यवस्था का विकास कर रहा है। केन्द्र सरकार ने बहुत ही कम समय में ऐसे कदम उठाए हैं, जो आवास निर्माण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायक होंगे। इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक वर्गों, कम आय वाले लोगों, ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों और कारीगरों, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों, विधवाओं, अकेली रह रही महिलाओं और महिला प्रधान घरों तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों आदि को सस्ते मकान उपलब्ध कराना है।

भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बिखरते हुए संयुक्त परिवार और बढ़ती हुयी महंगाई ने आवा समस्या को अधिक विकराल बना दिया है। जनगणना के आंकड़े इस बात के साक्षी हैं कि

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

जनसंख्या वृद्धि की दर मकान बनाने की दर से अधिक तीव्र रही है। वर्ष 1981–91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर 23.50 प्रतिशत थी जबकि इसी अवधि में मकान वृद्धि की दर 18.50 प्रतिशत थी। इस विषमता के कारण राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के अनुमान के अनुसार 1991 में देश में लगभग 310 लाख मकानों की कमी थी। जिनमें से 206 लाख मकानों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 104 लाख मकानों की कमी शहरी क्षेत्रों में थी। उद्योगों और सेवा क्षेत्र के विस्तार ने जनसंख्या में गांवों से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति बढ़ाई है। जिससे नगरीय आवास की समस्या और विकराल हो गई है। देश में बेहतर शहरी अद्यो संरचना, आवास और स्वच्छता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को संसाधन आवंटित कर रही है तथा राष्ट्र के वित्तीय संसाधनों के माध्यम से धन उपलब्ध करा रही है। इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं–

**1– जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNURM)**

यह शहरीकरण के लिए फ्लेगशिप कार्यक्रम है। यह 3 दिसम्बर 2005 को 7 वर्ष की अवधि के लिए प्रारम्भ किया गया था। बाद में इसे दो वर्षो के लिए बढ़ाकर मार्च 2014 तक जारी रखा गया यह कार्यक्रम अधोसंरचना, आवास विकास तथा क्षमता विकास के लिए शहरों को पर्याप्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता था। इस कार्यक्रम के दो प्रमुख घटक थे। पहला– शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम (BSUP) और दूसरा समेकित आवास एवं गन्दी बस्ती कार्यक्रम (IHSDP) यह शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए आश्रय और मूलभूत सेवाओं हेतु एक कार्यक्रम था। वर्तमान में इस योजना के स्थान पर 29 अप्रैल 2015 से अटल मिशन येाजना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।

**2– राजीव आवास योजना (RAY)** राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत बनाने को ध्यान में रखते हुए 2 जून 2011 का प्रारम्भ की गई थी। यह योजना उन राज्यों को आश्रय, पुर्नविकास तथा वहनीय आवास समूह के सृजन के लिए सहायता प्रदान करती थी। यह योजना स्लम वासियों को सम्पत्ति का अधिकार प्रदान करने हेतु बनाई गई थी। वर्तमान समय में इस योजना का विलय वर्ष 2022 तक के लिए 'सबके लिए आवास' (शहरी) मिशन में कर दिया गया है।

**3- सबके लिए आवास (शहरी)** – माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार ने एक व्यापक मिशन **प्रधानमंत्री आवास योजना– सबके लिए आवास (शहरी) योजना** दिनांक 17.03.2015 से प्रारम्भ की है। इस योजना में प्रत्येक परिवार के पास जल संयोजन, शौचालय सुविधाएं, 24X7 विद्युत आपूर्ति तथा सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। 'सबके लिए आवास' (शहरी) योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं–

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

(1) निजी भागीदारी के जरिए संसाधन के तौर पर भूमि का उपयोग करके मौजूदा झुग्गी वासियों का यथा स्थान पुनर्वास।

(2) ऋण सम्बद्ध सहायता

(3) भागीदारी में किफायती आवास

(4) लाभार्थी के नेतृत्व वाले आवास के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता

ऋण सम्बद्ध सहायता घटक का कार्यान्वयन एक केन्द्रीय योजना द्वारा किया जाएगा। जबकि अन्य तीन घटक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम (CSS) के तौर पर कार्यान्वित किए जाएंगे। योजना को तीन चरणों में– 500 श्रेणी–1 शहरों पर प्रारम्भ के साथ 4041 सांविधिक कस्बों से युक्त सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र को सम्मिलित किया जाएगा। योजना के ऋण सम्बद्ध घटक को प्रारम्भ से ही देश भरत में से ही देश भर में सभी सांविधिक कस्बों में कार्यान्ित किया जाएगा। जिनका विवरण इस प्रकार है–

**पहला चरण–** (अप्रैल 2015 से मार्च 2017)– राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी इच्छा के अनुसार 100 शहरों को कवर किया जाएगा।

**द्वितीय चरण–** अप्रैल 2017 से मार्च 2019 – अतिरिक्त 200 शहरों का कवर किया जाएगा।

**तृतीय चरण–** अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक सभी अन्य शहरों को कवर किया जाएगा।

(5) यह मिशन बुनियादी सिविक अवस्थापना सहित 30 वर्गमीटर के मर्शी क्षेत्रफल तक के आवासों के निर्माण में सहायता करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंत्रालय से परामर्श लेते हुए राज्य स्तर पर आवास के आकार और अन्य सुविधाओं के निर्धारण करने के सम्बन्ध में छूट होगी किन्तु इसके लिए केन्द्र से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता में वृद्धि नहीं की जाएगी। शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण से जुड़ी ब्याज सहायता और लाभार्थी आधारित निर्माण में बुनियादी सिविक सेवाओं के लिए प्रावधान हो।

(6) प्रत्येक घटक के अन्तर्गत इस मिशन के तहत निर्मित आवासों का न्यूनतम आकार राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) में प्रदान किए गए मानकों के अनुरूप होगा।

(7) एस एल एस एम सी के अनुमोदन से राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्षेत्रफल से सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है। इस मिशन के अन्तर्गत निर्मित अथवा विस्तारित सभी आवासों में अनिवार्य रू‍प से शौचालय की सुविधा होना चाहिए।

(8) इस मिशन के अन्तर्गत आवासों को राष्ट्रीय भवन संहिता और अन्य संगत भारतीय मानक ब्यूरों (BIS) संहिताओं के अनुरूप भूकम्प, बाढ़, चक्रवात भूस्खलन आदि के लिए आधारभूत सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार और निर्मित किया जाना चाहिए।

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

(9) इस मिशन के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से निर्मित/अधिग्रहीत किए गए आवास परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम नाम से होंगे। केवल उन मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न हो, आवास को परिवार के पुरूष सदस्य के नाम किया जा सकता है।

(9) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और कार्यान्वयन ऐजेन्सियों को इस मिशन के अन्तर्गत निर्मित किए जा रहे आवासों के रख रखाव की देखरेख के लिए आवासी कल्याण संघ बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के प्रावधान है।

स्वाथ्य रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। घर वह स्थान होता है, जहां हमारा परिवार निवास करता है। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य सम्बन्धी कुशल क्षेत्र के लिए अपने आवास और आसपास की सफाई एवं स्वच्छता नितान्त आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छता की परिभाषा को कई प्रकार से पारिभाषित किया है।

स्वास्छता केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं वरन् समस्त पर्यावरण का प्रभावित करती है। इसी लिए यह अपने आप में एक बड़ा विचार है। स्वच्छता प्रबन्धन में निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया जा सकता है।

:– मानव मल मूत्र कचरे आदि का सुरक्षित संग्रहण, भण्डारण, उपचार– निस्तारण तथा पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण का प्रबन्धन

:– पारिवारिक दूषित जल की निकासी और निस्तारण, पुनः प्रयोग एवं पुनः चक्रण को उपाय

:– तूफान के पानी की निकासी व्यवस्था

:– औद्योगिक कचरे का संग्रहण व निस्तारण

:– खतरनाक कचरा जैसे– रसायनिक कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा और अस्पतालों का कचरा आदि का संग्रहण व निस्तारण प्रबन्धन

वर्तमान समय में शहरीकरण और औद्योगीकरण की प्रक्रियाओं ने कचरे की मात्रा को बढ़ाया है। मानव द्वारा स्वच्छता रखने से कचरे व गन्दगी का निस्तारण तो होता ही हे अनेक बीमारियों व संक्रामक रोगों से मुक्ति मिल जाती है। स्वच्छता से हानिकारक कीट उत्पन्न नहीं हो पाते जिससे बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। स्वच्छता के कारण मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे मानव की औसत आयु में वृद्धि होती है। स्वच्छता से प्र्यावरणीय दशाएं अनुकूल बनी रहती हैं। स्वच्छता से शरीर शुद्ध रहता है, जिससे बौद्धिक विकास होता है। स्वच्छ दशाओं से खाद्य–जल श्रृंखला संतुलित बनती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखती है। इन्हीं सब कारणों से मानव जीवन में स्वच्छता का महत्वपूर्ण स्थान है। घर की साफ सफाई के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है–

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

:— शौचालय व स्नानघर प्रतिदिन अच्छी तरह से साफ किए जाने चाहिए, क्योंकि यहां कीटाणु पनपने की सम्भावना सर्वाधिक रहती है।

:— घर की नालियों को कीटनाशकों का नियमित छिड़काव किया जाना चाहिए।

:— कमरों से दूषित हवा निकालने के लिए रोशनदान की उचित व्यवस्था होना चाहिए।

समस्त कूड़ा करकट प्रतिदिन एक कूड़ेदान में एकत्र करने चाहिए. यह कूड़ादान ढक्कन वाला होना चाहिए.

रसोईघर में धुंए के निकास के लिए चिमनी की व्यवस्था होनी चाहिए.

घर में प्रतिदिन फिनायल आदि डालकर पोछा लगाया जाना चाहिए ताकि मक्खी मच्छर न फ़ैल सके.

घर का समस्त कूड़ा करकट बाहर नही फेकना चाहिए, इसे नगर परिषद् के सफाई कर्मचारी के सुपुर्द किया जाना चाहिए.

गली मुहल्ले की नालियाँ भी साफ करवानी चाहिए.

नगर परिषद से सम्पर्क कर समय समय पर कीटनाशकों फिनाइल, बीएचसी पाउडर आदि का छिडकाव करवाना चाहिए.

सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए आवासीय बस्तियाँ योजनाबद्ध रूप से बसी होनी चाहिए, जिससे सभी आवासों के लिए समुचित हवा, पानी, रोशनी, जल निकास व शौचालय आदि की व्यवस्था हो.

गंदे जल के निकास की नालियाँ व गटर ढके हुए हो.

आवासीय बस्तियों में जल के गड्ढे नही होने चाहिए, क्योंकि इन स्थानों पर मच्छर पनपने की संभावना अधिक रहती है.

जल स्रोत साफ स्वच्छ होने चाहिए, कुएँ ढकें हो, जिनमें समय समय पर जीवाणुनाशक दवाइयाँ डाली जाती रहे.

हैण्डपंप, कुएँ व बावडियों आदि के आस–पास का स्थान स्वच्छ रखना चाहिए. इन स्रोतों में कपड़े व बर्तन धोना, स्वयं नहाना, जानवरों को नहलाना आदि कार्य नही करने चाहिए.

पानी की टंकियो की नियमित सफाई की जानी चाहिए.

बस्ती में वृक्षारोपण करना चाहिए.

मरे हुए जानवरों को जलस्रोत या बस्तियों से दूर उचित स्थान पर डालना चाहिए.

हर घर के बाहर या कुछ घरों के बिच कचरा पात्र रखे जाए.

समुदाय के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए.

लोगों को गंदगी से होने वाली बीमारियों व संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे अपने आस–पास के क्षेत्र को साफ सुथरा रख सके.

भारत सरकार ने 15 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत 2 अक्टूबर 2019 तक Swachh Bharat Abhiyan चलेगा.

Saarth
E-Journal of Research

**ISSN NO: 2395-339X**

**स्वच्छ भारत अभियान (SBM) --** स्वच्छता भारत अभियान भारत सरकार आरम्भ किया गया। राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ–सुथरा करना और कूड़ा निस्तारण है यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 करे महात्मा गांधी के जन्मदिन से प्रारम्भ किया गया था। महात्मा गांधी ने देश को दासता से मुक्त तो करा लिया किन्तु स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा न हो सका। इस अभियान का स्लोगन 'एक कदम स्वच्छता की ओर' हैं स्वच्छ भारत अभियान के समापन की तिथि 2 अक्टूबर 2019 निर्धारित की गई है।

स्वच्छता को हमने संकीण अर्थों में– स्वयं की साफ सफाई तक सीमित कर दिया गया है। यह गलत है। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। गांधीजी के अनुसार ''जब तक आप झाड़ू और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते तब तक आप अपने गांव एवं कस्बे को स्वस्थ नहीं रख सकते।'' स्वच्छ भारत अभियान ने भारत की जनता में वैचारिक क्रान्ति आरम्भ कर दी है अब लोग न किर्फ स्वयं को स्वच्छ रखने अपितु अपने गांव, जिला एवं शहर को भी स्वच्छ रखने की बात करते हैं। और इस दिशा में भरसक योगदान भी दे रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय योजना के अन्तर्गत वे गरीब परिवार, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर ळे और वे शौचालय निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं, जिनके कारण शौच के लिए उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है। जिसके कारण कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसी असुविधा को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण के लिए 12000रू प्रति शौचालय धनराशि उपलब्ध करा रही है। जिसमें केन्द्र सरकार का अंश 60 प्रतिशत और राज्य सरकारों का अंश 40 प्रतिशत है। अर्थात 7200/– केन्द्र और 4800/– प्रति शौचालय राज्य उपब्ध कराता है। सभी बी.पी. एल. परिवार तथा गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीन श्रमिक, शारीरिक रू‍प से विकलांग व्यक्ति और महिला मुखिया परिवार इसके पात्र है। भविष्य में यह योजना शहरी आवास के लिए भी प्रस्तावित है।

खुले में शौच से मुक्ति का यह प्रयास मानव सभ्यता के इतिहास में महत्वपूर्ण साबित होगा। 'घर घर शौचालय' योजना ने व्यक्तियों में आत्मसम्मान का भाव भी जागृत किया है। महिलाओं के आत्मसम्मान की ओर उठाया गया ठोस कदम है। यह उनके प्रति अपराध को कम करने में सहायक है। ग्रामीण शौचालयों की दीवारों पर लिखे गए स्लोगन 'लज्जाघर' 'इज्जत घर' यही दर्शाते हैं। नगरों में सार्वजनिक शौचालयों की श्रृंखला कार्यक्रम की सफलता और व्यक्ति की मानसिक स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती है।

Saarth
E-Journal of Research

**ISSN NO: 2395-339X**

## संदर्भ सूची

Rajiv Awas Yojana, Press Information Bureau, 5 February 2014

"CCEA approves launch of Rajiv Awas Yojana", Business Standard, 3 September 2013

One Million Beneficiaries Proposed to be Covered Under Rajiv Awas Yojana, archived from the original on 17 November 2015

Chauhan, ArbindKumar; Chaudhary, Shiv; Kumar, Shivkumar Chauhan (2019). "Do noise stress impact to addiction?". Indian Journal of Health Sciences and Biomedical Research KLEU. 12 (1): 3. doi:10.4103/kleuhsj.kleuhsj_170_18. ISSN 2542-6214.

"Over 300 cities identified for 'Housing for All' scheme", Business Today, 31 August 2015

All you wanted to know about Pradhan Mantri Awas Yojana, Business Standard, Feb 2017.

10 lakh homes built under Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin): Government, Economic Times, 1 Dec 2017.